पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2531

==

गायत्री देवी उर्फ़ गायत्री देवी, पति - श्री प्रेम रंजन कुमार, निवासी: ग्राम और पोस्ट ऑफिस - परशुरामपुर, थाना - पारसौनी, जिला - सीतामढ़ी, वर्तमान में प्रमुख, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, जिला सीतामढ़ी।

... ... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के अतिरिक्त मुख्य सचिव के माध्यम से।
2. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतामढ़ी।
4. अनुमंडल अधिकारी, सदर सीतामढ़ी, जिला सीतामढ़ी।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, जिला सीतामढ़ी।
6. प्रखंड पंचायत राज अधिकारी, पारसौनी, जिला सीतामढ़ी।
7. श्रीमती मीना देवी, याचिकाकर्ता को नहीं ज्ञात, वर्तमान में उप-प्रमुख, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, थाना पारसौनी, जिला सीतामढ़ी।
8. अंसू सिंह, याचिकाकर्ता को पति का नाम नहीं ज्ञात, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी के निर्वाचित सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, पोस्ट ऑफिस और थाना- पारसौनी, जिला सीतामढ़ी के माध्यम से।
9. अंजू देवी, याचिकाकर्ता को पति का नाम नहीं ज्ञात, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी के निर्वाचित सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, पोस्ट ऑफिस और थाना- पारसौनी, जिला सीतामढ़ी के माध्यम से।
10. सजदा खातून, याचिकाकर्ता को पति का नाम नहीं ज्ञात, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी के निर्वाचित सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी-

सह-कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, पोस्ट ऑफिस और थाना- पारसौनी, जिला सीतामढ़ी के माध्यम से।

11. किरण देवी, पति का नाम अविनाश ठाकुर, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी के निर्वाचित सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, पोस्ट ऑफिस और थाना- पारसौनी, जिला सीतामढ़ी के माध्यम से।

12. राम बाबू राय, पिता याचिकाकर्ता को नहीं ज्ञात, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी के निर्वाचित सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, पोस्ट ऑफिस और थाना- पारसौनी, जिला सीतामढ़ी के माध्यम से।

13. रागिनी देवी, याचिकाकर्ता पति को नहीं ज्ञात, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी के निर्वाचित सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, पोस्ट ऑफिस और थाना- पारसौनी, जिला सीतामढ़ी के माध्यम से।

14. बबलू कुमार, याचिकाकर्ता को नहीं ज्ञात, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी के निर्वाचित सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, पोस्ट ऑफिस और थाना- पारसौनी, जिला-सीतामढ़ी के माध्यम से।

15. किरण देवी पति रत्नेश साह, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी के निर्वाचित सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, प्रखंड पारसौनी, पोस्ट ऑफिस और थाना- पारसौनी, जिला- सीतामढ़ी के माध्यम से।

... ... प्रतिवादी/गण

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री राजेश मोहन, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए	:	श्री गौतम कुमार यादव, जी.पी.-26 के एसी।
प्रत्यर्थी संख्या 8, 9 और 11 से 15 के लिए	:	श्री एस. बी. के. मंगलम, अधिवक्ता

==

मामले का सारांश - संविधान का अनुच्छेद 226 - बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(3)(ii) के तहत दूसरे अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती। - धारा 44(3)(ii) के अनुसार, प्रमुख या उप-प्रमुख के कार्यकाल में केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।- पहला अविश्वास प्रस्ताव (03.01.2024) उच्च न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण रद्द किया गया था और उस पर मतदान नहीं हुआ था। - चूंकि पहला प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत ही नहीं हुआ था, इसलिए दूसरा प्रस्ताव (18.01.2024) विधि सम्मत था। - (संदर्भ: संगीता देवी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2024 (4) BLJ-1) (पैरा 32-34)

याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी की वैधता - पहला अविश्वास प्रस्ताव (03.01.2024) कभी चर्चा में नहीं आया या मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। - दूसरा प्रस्ताव (18.01.2024) विधि अनुसार प्रस्तुत किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता ने बैठक बुलाने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, मामला उप-प्रमुख को सौंपा गया, जिसने 13.02.2024 को बैठक निर्धारित की। - 13.02.2024 को 10 में से 6 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे याचिकाकर्ता को हटाया गया।- न्यायालय ने माना कि यह प्रक्रिया बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुरूप थी और पूरी तरह से वैध थी

(पैरा 26-27, 36-37)

याचिकाकर्ता की दूसरी अविश्वास प्रस्ताव पर आपत्ति अस्वीकृत- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार या

रद्द हो जाए, तो दोबारा नहीं लाया जा सकता। - न्यायालय ने इस तर्क को खारिज किया, क्योंकि पहला प्रस्ताव मतदान के लिए गया ही नहीं था - (संदर्भ: धर्मशीला कुमारी बनाम हेमंत कुमार एवं अन्य, 2021 (3) PLJR 346) (पैरा 31)

*निष्कर्ष -न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी विधिसम्मत थी और बिहार पंचायत राज अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ - दूसरा अविश्वास प्रस्ताव वैध था, क्योंकि पहला प्रस्ताव कभी मतदान के लिए नहीं लाया गया था - **याचिका खारिज कर दी गई। (पैरा 36-37)***

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

न्यायाधीश: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय
सीएवी
तिथि: 10-07-2024

श्री राजेश मोहन, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री गौतम कुमार यादव, राज्य के विद्वान अधिवक्ता, और श्री एस.बी.के. मंगला, उत्तरदाता संख्या 8 और 11 से 15 का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता, को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है:"

> *(i) याचिकाकर्ता ने उचित आदेश, उत्प्रेषण-लेख जारी करने की प्रार्थना की है, ताकि प्रतिवादी संख्या 6, ब्लॉक*

विकास अधिकारी, पारसौनी-कम-कार्यकारी अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, पारसौनी द्वारा 30.01.2024 को जारी पत्र संख्या 129 को रद्द किया जा सके, जिसमें 18.01.2024 को प्रखंड पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ 13.02.2024 को विश्वास मत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विशेष बैठक बुलाने के लिए प्रार्थना की गई थी। यह पत्र प्रखंड पंचायत समिति, ब्लॉक - पारसौनी, जिला सीतामढ़ी को संबोधित था।

(ii) यह घोषणा की जाए कि यदि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(3) (ii) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि प्रमुख या उप-प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो निर्धारित तरीका है, यदि वह तरीका अपनाया नहीं गया है, तो वह अनुरोध कानून की दृष्टि से वैध नहीं होगा और उसके आधार पर कोई विशेष बैठक नहीं बुलाई जा सकती।

(iii) मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को जिन आदेशों, निर्देशों या राहतों का हक़ है, उनके जारी करने के लिए कोई अन्य आदेश/निर्देश/ राहत देने की मांग।

3. यह मामला परसौनी ब्लॉक पंचायत समिति से संबंधित है और 31.12.2021 को हुए चुनाव के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को इसका "प्रमुख" चुना गया। इसके बाद, उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उनके अनुसार, उन्होंने लोगों की पूरी संतुष्टि के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू किया। हालांकि, उनके विरोधी, दो साल पूरे होते ही, उनकी हटाने की मांग के लिए 03.01.2024 को प्रस्ताव लेकर आए। उत्तरदाता संख्या 5 ने इसे अपने कार्यालय पत्र संख्या 11 दिनांक 04.01.2024 के माध्यम से अग्रेषित किया। याचिकाकर्ता ने इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और 08.01.2024 को उत्तरदाता संख्या 6 को पत्र द्वारा अपने निर्णय से अवगत कराया। उत्तरदाता संख्या 5, जो ब्लॉक विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, परसौनी हैं, ने यह मामला उप-प्रमुख के समक्ष रखा, जिन्होंने बैठक की तिथि 16.01.2024 निर्धारित की।

4. याचिकाकर्ता ने 03.01.2024 के मांगपत्र को चुनौती देते हुए सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 751/2024 (गायत्री देवी उर्फ गायत्री देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य) दायर किया। यह 12.01.2024 को निपटाया गया, और अदालत ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया) की धारा 44 और 46 सहित अन्य तथ्यों का संज्ञान लेते हुए, जो अदालत के अनुसार पालन नहीं किए गए थे, 03.01.2024 की सूचना और साथ ही उत्तरदाता संख्या 5, ब्लॉक विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, परसौनी ब्लॉक, सीतामढ़ी द्वारा 16.01.2024 की तिथि निर्धारित करने की सूचना को रद्द कर दिया।

5. पहले मांगपत्र को रद्द किए जाने के बाद, 18.01.2024 को पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा प्रमुख को संबोधित करते हुए एक नया मांगपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों के खिलाफ आरोपों का विवरण दिया गया (**अनुबंध-P/5**)। इसे उत्तरदाता संख्या 5, कार्यपालक पदाधिकारी-सह-बी.डी.ओ., परसौनी द्वारा 19.01.2024 को याचिकाकर्ता को अग्रेषित किया गया।

6. याचिकाकर्ता ने 25.01.2024 को अपनी टिप्पणियाँ दर्ज कीं, यह अवलोकन करते हुए कि एक वर्ष में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार 18.01.2024 की नोटिस को खारिज कर दिया गया।

7. चूंकि प्रमुख (वर्तमान याचिकाकर्ता) ने मांगपत्र को खारिज करने का निर्णय लिया, इसलिए 'अधिनियम' के अनुसार इसे उप-प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने 13.02.2024 की तिथि निर्धारित की। इसके बाद, उत्तरदाता संख्या 5, कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति-सह-बी.डी.ओ., परसौनी ने कार्यालय पत्र संख्या 129 दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से 13.02.2024 को याचिकाकर्ता (प्रमुख) और उप-प्रमुख के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' की सुनवाई के लिए तिथि अधिसूचित की **(अनुबंध-P/6)।**

8. जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, 13.02.2024 को प्रमुख और उप-प्रमुख के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' पर चर्चा के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत समिति के दस में से छह सदस्यों ने

इसके पक्ष में मतदान किया। तदनुसार, इसे उनके खिलाफ पारित घोषित कर दिया गया **(अनुबंध-**R/F याचिका के साथ संलग्न)।

9. कार्यवाही का कार्यवृत्त बाद में उत्तरदाता संख्या 5, कार्यपालक पदाधिकारी-सह-ब्लॉक विकास पदाधिकारी, परसौनी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, सीतामढ़ी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी को कार्यालय ज्ञापन संख्या 191 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से भेजा गया । **(अनुबंध-**R/G **प्रति शपथ पत्र के साथ)।**

10. याचिकाकर्ता, जिन्होंने इस बीच 30.01.2024 के पत्र संख्या 129 को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की थी, ने अपनी बर्खास्तगी (13.02.2024 को) को चुनौती देने के लिए कोई अंतरिम आवेदन दायर नहीं किया।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि 03.01.2024 को उनके खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' को इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया था, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसलिए दूसरा 'अविश्वास प्रस्ताव' चर्चा/मतदान के लिए नहीं लिया जा सकता था।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील मामले के समर्थन में इस न्यायालय को 'अधिनियम' की धारा 44 और 46 में ले गए। 'अधिनियम' की धारा 44 इस प्रकार हैः

> *44. प्रमुख और उप-प्रमुख का त्यागपत्र और हटाया जाना-(1) प्रमुख अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में उप-मंडल मजिस्ट्रेट को संबोधित*

करके अपना पद त्याग सकेगा और उप-प्रमुख अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में प्रमुख को संबोधित करके और प्रमुख की अनुपस्थिति में उप-मंडल मजिस्ट्रेट को संबोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और उक्त पद ऐसे त्यागपत्र की तिथि से सात दिन की समाप्ति पर रिक्त समझा जाएगा जब तक कि उक्त सात दिन की अवधि के भीतर वह उप-मंडल मजिस्ट्रेट या प्रमुख, जैसा भी मामला हो, को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपना त्यागपत्र वापस नहीं ले लेता।

(2) यदि कोई प्रमुख या उप-प्रमुख पंचायत समिति का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद छोड़ देगा।

(3) (1) यदि पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख पर विश्वास न करने का प्रस्ताव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में पारित कर दिया जाता है, तो उसे तत्काल अपना पद त्याग दिया गया माना जाएगा। ऐसी विशेष बैठक के लिए अध्यपेक्षा पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित कुल सदस्यों की

एक तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा लिखित रूप में प्रमुख को प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी एक प्रति पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी को भेजी जाएगी। कार्यकारी अधिकारी अध्यपेक्षा को तत्काल प्रमुख के ध्यान में लाएगा। प्रमुख ऐसी बैठक ऐसी अध्यपेक्षा के 15 दिन के भीतर आने वाली तिथि को बुलाएगा। यदि प्रमुख विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो उप प्रमुख या सीधे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई ऐसी बैठक के लिए तारीख तय कर सकता है और कार्यकारी अधिकारी को सदस्यों को नोटिस देने और बैठक बुलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। कार्यकारी अधिकारी को समय पर ऐसी सूचना जारी करनी होगी और बैठक बुलानी होगी। एक बार नोटिस जारी होने के बाद ऐसी कोई बैठक स्थगित नहीं की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) प्रमुख या उप-प्रमुख के विरुद्ध उनके कार्यकाल के प्रथम दो वर्ष की अवधि में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। '[ऐसा अविश्वास प्रस्ताव

प्रमुख/उप-प्रमुख के सम्पूर्ण कार्यकाल में केवल एक बार ही लाया जा सकेगा] [xxx]'

(iii) इस अधिनियम की धारा 39 (1) में वर्णित पंचायत समिति के कार्यकाल के अंतिम छह माह के दौरान प्रमुख या उपप्रमुख अथवा दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(iv) ऐसे कारण/आरोप जिनके आधार पर प्रमुख या उपप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक की सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए जाएंगे।

(v) इस धारा के अन्तर्गत बुलाई गई बैठक प्रारम्भ होते ही, इस बैठक का पीठासीन सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई है तथा उसे चर्चा के लिए खुला घोषित करेगा। प्रस्ताव पर कोई भी चर्चा स्थगित नहीं की जाएगी;

(vi) चर्चा के दौरान, उस प्रमुख/उपप्रमुख को, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, पंचायत समिति के समक्ष अपना बचाव करने का

अवसर दिया जाएगा। प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात उसी दिन मतदान कराया जाएगा तथा निर्धारित तरीके से गुप्त मतदान द्वारा मतदान कराया जाएगा; (vii) प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपप्रमुख द्वारा, उपप्रमुख के विरुद्ध प्रस्ताव की स्थिति में प्रमुख द्वारा तथा प्रमुख एवं उपप्रमुख दोनों के विरुद्ध प्रस्ताव की स्थिति में बैठक में उपस्थित पंचायत समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा की जाएगी; उप-प्रमुख का पद रिक्त होने अथवा प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक से उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में, अथवा प्रमुख का पद रिक्त होने अथवा उप-प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक से उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा की जाएगी, जो बैठक में उपस्थित हो;

(4) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि पंचायत समिति

पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रखने वाली सरकार की राय में, पंचायत समिति का कोई प्रमुख या उप-प्रमुख लगातार तीन बैठकों या बैठकों से बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कार्यों को करने से जानबूझकर चूक जाता है या मना कर देता है या अपने में निहित शक्ति का दुरुपयोग करता है या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता है या अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है या किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त होने के कारण छह महीने से अधिक समय से फरार रहता है, तो आयुक्त प्रमुख या उप-प्रमुख को, जैसा भी मामला हो, स्पष्टीकरण का उचित अवसर देने के पश्चात, आदेश द्वारा, ऐसे प्रमुख या उप-प्रमुख को, जैसा भी मामला हो, पद से हटा सकता है। '[परन्तु जब धारा 152 की उपधारा (5) के अधीन स्थापित लोक प्रहरी की व्यवस्था राज्य सरकार की वैध अधिसूचना द्वारा लागू होती है, तो सरकार ऐसे प्रमुख/उप-प्रमुख को हटाने का आदेश, यथास्थिति, लोक प्रहरी की जांच और हटाने की संस्तुति के आलोक में ही

पारित कर सकेगी] [निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाए जाने के आरोप में हटाए गए प्रमुख या उप-प्रमुख, ऐसे हटाए जाने की तिथि से अगले पांच वर्षों में किसी भी पंचायत निकाय में चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। शेष आरोपों के आधार पर हटाए गए प्रमुख या उप-प्रमुख, ऐसी पंचायत समिति के शेष कार्यकाल के दौरान प्रमुख या उप-प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(5) उपधारा (4) के अधीन पद से हटाए गए प्रमुख या उपप्रमुख को सरकार पंचायत समिति की सदस्यता से भी हटा सकती है।

13. इसी तरह, 'अधिनियम' की धारा 46 निम्नलिखित हैः

46. पंचायत समिति की बैठकें-(1) एक पंचायत समिति दो महीने में कम से कम एक बार कार्य के लेन-देन के लिए एक बैठक आयोजित करेगी (जिसे इसके बाद इस धारा में सामान्य बैठक कहा गया है) और निम्नलिखित उप-धाराओं के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के

अनुरूप अपनी बैठकों के दिन, घंटे, सूचना, प्रबंधन और स्थगन के संबंध में और आम तौर पर कार्य के लेन-देन के संबंध में विनियम बनाएगी।

(2) पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक सामान्यतः पंचायत समिति के मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी;

(3) पंचायत समिति के गठन के बाद उसकी पहली बैठक की तारीख उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी जो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा और प्रत्येक बाद की सामान्य बैठक की तारीख पंचायत समिति की पिछली बैठक में तय की जाएगीः

बशर्ते कि प्रमुख पर्याप्त कारण से बैठक के दिन को बाद की तारीख में बदल सकता है। प्रमुख जब भी उचित समझे और सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई के लिखित अनुरोध पर और इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर एक विशेष बैठक बुलाएगा।इस तरह के अनुरोध में उस उद्देश्य को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके लिए बैठक बुलाने का प्रस्ताव है।यदि प्रमुख एक विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है।

सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई ऐसा अनुरोध प्रस्तुत करने के पंद्रह दिन बाद एक दिन के लिए विशेष बैठक बुला सकता है और कार्यकारी अधिकारी से सदस्यों को नोटिस देने और ऐसी कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकता है जो बैठक बुलाने के लिए आवश्यक हो।

(4) एक साधारण बैठक की दस स्पष्ट दिनों की सूचना और एक विशेष बैठक की सात स्पष्ट दिनों की सूचना जिसमें उस समय को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर ऐसी बैठक आयोजित की जानी है और उस पर कार्य किया जाना है, सदस्यों को भेजा जाएगा और पंचायत समिति के कार्यालय में चिपकाया जाएगा।इस तरह की सूचना में एक विशेष बैठक के मामले में ऐसी बैठक के लिए किए गए लिखित अनुरोध में उल्लिखित कोई प्रस्ताव या प्रस्ताव शामिल होगा।

(5) पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या का आधा हिस्सा पंचायत समिति की बैठक में कार्य संचालन के लिए कोरम बनाएगा, यदि बैठक के लिए निर्धारित समय पर कोरम मौजूद नहीं है, तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति एक घंटे तक इंतजार करेगा और यदि ऐसी अवधि के भीतर

कोरम है।बैठक के साथ आगे बढ़ें, लेकिन यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई कोरम नहीं है, तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक को भविष्य के किसी दिन ऐसे समय के लिए स्थगित कर देगा जो वह उचित समझे।इसी तरह वह बैठक शुरू होने के बाद किसी भी समय स्थगित कर देगा यदि उसका ध्यान कोरम की कमी की ओर आकर्षित किया जाता

है। ऐसी स्थगित बैठकों में, सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पांचवें हिस्से की गणपूर्ति की आवश्यकता होगी, और व्यवसाय जो मूल बैठक से पहले लाई गई होगी, उसका लेन-देन किया जाएगा।

(6) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता प्रमुख द्वारा की जाएगी या यदि वह उप-प्रमुख द्वारा अनुपस्थित है और यदि दोनों अनुपस्थित हैं या यदि प्रमुख अनुपस्थित हैं और उप-प्रमुख नहीं हैं तो उपस्थित सदस्य अध्यक्षता करने के लिए आपस में से एक का चुनाव करेंगे।

(7) जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित

और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।पीठासीन सदस्य, जो मतदान करने से बचता है, किसी प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या घोषित करने से पहले एक मत देगा और मतों की समानता के मामले में, वह अपना निर्णायक मत दे सकता है।

(8) पंचायत समिति का कोई भी सदस्य 2024 डी. टी. के पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा। पंचायत समिति की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी प्रश्न पर चर्चा, यदि वह प्रश्न वह है जिसमें जनता के लिए इसके सामान्य अनुप्रयोग के अलावा, उसका कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित है और यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का ऐसा हित है, तो जब ऐसा प्रश्न विचार के लिए आता है, तो वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।

(9) यदि बैठक में उपस्थित किसी सदस्य का मानना है कि बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का चर्चा के तहत किसी भी मामले में ऐसा कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित है और यदि उस आशय का प्रस्ताव लाया जाता है, तो वह ऐसी चर्चा के दौरान बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा या

उस पर मतदान नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।पंचायत समिति के किसी भी सदस्य को 2024 के जारी रहने के दौरान बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना जा सकता है।

(10) किसी साधारण बैठक में किसी प्रस्ताव पर तब तक चर्चा नहीं की जाएगी जब तक कि उसे ऐसी बैठक बुलाने की सूचना में या विशेष बैठक के मामले में ऐसी बैठक के लिए लिखित अनुरोध में दर्ज न कर दिया गया हो। कोई सदस्य कार्य-सूची में शामिल विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक कोई प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकता है। प्रमुख किसी नियमित प्रकृति के ऐसे अत्यावश्यक विषय को प्रस्तावित कर सकता है जो कार्य-सूची में शामिल न हो, यदि कोई सदस्य उस पर आपत्ति न करे। किसी प्रस्ताव या प्रस्ताव के पारित होने के तीन महीने के भीतर उसे संशोधित या रद्द करने की अनुमति उप-धारा (12) के अनुसार ही दी जाएगी। ऐसी बैठक में कोई कार्य या प्रस्ताव किस क्रम में लाया जाएगा, यह निर्धारित किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा, जो किसी सदस्य द्वारा विशेष प्रस्ताव दिए जाने की स्थिति में, बैठक में प्रस्ताव रखेगा और

प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में दिए गए बहुमत के मतों द्वारा निर्देशित होगा।

(11) कोई भी साधारण बैठक उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से समय-समय पर स्थगित की जा सकेगी, लेकिन किसी भी स्थगित बैठक में उस बैठक में छोड़े गए या निपटाए न गए कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा।

(12) पंचायत समिति के किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के छह महीने के भीतर संशोधित या रद्द नहीं किया जाएगा, सिवाय प्रस्ताव के।

(13) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बैठक के विचार-विमर्श के तुरंत बाद मिनट बुक में दर्ज की जाएगी और पीठासीन अधिकारी द्वारा पढ़े जाने के बाद बैठक की कार्यवाही पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। पंचायत समिति के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पंचायत समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। कार्यवृत्त पुस्तिका हमेशा पंचायत समिति के कार्यालय में रखी जाएगी। कार्यवृत्त पुस्तिका का संरक्षक कार्यकारी अधिकारी होगा।

(14) पंचायत समिति अपनी बैठक में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकती है, यदि पंचायत समिति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जिले के क्षेत्र या जिले के किसी भाग पर अधिकार रखने वाले तथा पंचायत समिति के अधीन काम न करने वाले किसी सरकारी अधिकारी की पंचायत समिति की बैठक में उपस्थिति वांछनीय है, तो कार्यकारी अधिकारी ऐसे अधिकारी को संबोधित पत्र द्वारा अपेक्षित बैठक से कम से कम पंद्रह दिन पहले इसकी सूचना देगा। बैठक में उपस्थित होने के लिए अधिकारी से अनुरोध किया जाएगा और अधिकारी, जब तक बीमारी या अन्य उचित कारण से रोका न जाए, बैठक में उपस्थित होगा: बशर्ते कि अधिकारी ऐसे पत्र की प्राप्ति पर यदि वह किसी भी पूर्वोक्त कारण से स्वयं बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो अपने उप या अन्य सक्षम अधीनस्थ अधिकारी को बैठक में उसका प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दे सकता है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय से 'अधिनियम' की धारा 44(ii) पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, जो इस प्रकार है:

> ***44(ii) प्रमुख या उप-प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनके कार्यकाल के पहले दो वर्षों के भीतर नहीं लाया जा सकता। संशोधन अधिनियम 15, 2015 की धारा 10 द्वारा प्रविष्ट (1.1.2016 से प्रभावी) [ऐसा अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख/उप-प्रमुख के पूरे कार्यकाल में केवल एक बार लाया जा सकता है]।***

15. अतः उन्होंने पुनः जोर देकर कहा कि पहली मांग को पटना उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए जाने के बाद, दूसरी मांग 'अधिनियम' के तहत विधिसम्मत नहीं थी और इसलिए इसे सही तरीके से अस्वीकार कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, 13.2.2024 को हुई subsequent बैठक 'अधिनियम' के अनुरूप नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

16. अपने मामले का समर्थन करते हुए, याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता ने **सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2744/2024 (रेखा देवी बनाम बिहार राज्य)** में 13.2.2024 को निपटाए गए एकल न्यायाधीश के आदेश का संदर्भ दिया, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि दूसरी अविश्वास प्रस्ताव लाना अनुमति योग्य नहीं है।

17. **रेखा देवी** (उपर्युक्त) के आदेश के अनुच्छेद 8 से 11 इस प्रकार पढ़े जाते हैं:

8. यह न्यायालय खंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी की समझ पर आश्चर्यचकित है, जिन्हें अधिनियम के तहत अधिकार नहीं है कि वे प्रस्तावकों द्वारा निर्धारित समय पर आपत्ति या विरोध करें। उन्होंने स्वयं यह पाया है कि सात दिनों की अवधि 13.02.2024 को समाप्त हो रही है। यह न्यायालय पाता है कि प्रस्तावकों द्वारा 13.02.2024, यानी आज, बैठक की तिथि निर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। याचिकाकर्ता को बैठक में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी, या वह बैठक में भाग लेने से खुद को रोक सकता है। सभा में चर्चा इस न्यायालय के खंडपीठ द्वारा धर्मशीला कुमारी बनाम हेमंत कुमार एवं अन्य के मामले में 2021(3) PLJR 346 में दिए गए निर्णय के अनुच्छेद 58 और 59 में की गई स्पष्टता के अनुसार होनी चाहिए, और बिना चर्चा के यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो यह धर्मशीला कुमारी (उपर्युक्त) मामले के निर्णय के अनुच्छेद 62 में किए गए अवलोकनों का उल्लंघन होगा।

9. अधिनियम, 2006 की धारा 44 का प्रावधान एक संपूर्ण संहिता है। कार्यपालक पदाधिकारी की

कार्रवाई की निंदा की जाती है, जिन्होंने बिना अधिकार के प्रस्तावकों द्वारा निर्धारित तिथि में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और धारा 44 के प्रावधानों की पूर्ण अज्ञानता में मेमो संख्या 112 दिनांक 03.02.2024 द्वारा बिना अधिकार के 13.02.2024 को विशेष बैठक की तिथि निर्धारित की, जिसे निश्चित रूप से प्रस्तावकों द्वारा 13.02.2024 को अधिनियम, 2006 की धारा 44(1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया था।

***10.** इस न्यायालय को बैठक की तिथि निर्धारित करने में अधिनियम, 2006 की धारा 44 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं दिखता।*

***11.** तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।*

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को **संगीता देवी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** (एल.पी.ए. संख्या 125/2021) में उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें 19.02.2024 को **सरिता कुमारी बनाम बिहार राज्य (एल.पी.ए. संख्या 940/2008)** के मामले में दिए गए विरोधाभासी आदेश और **धर्मशीला कुमारी एवं अन्य** (उपर्युक्त) के मामले के संदर्भ में पूरा मामला पूर्ण पीठ के पास भेजा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका स्वीकार की जाने योग्य है।

19. प्रतिवादी संख्या 5 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 8 से 11 तक के पक्ष में प्रतिउत्तर हलफनामे दाखिल किए गए हैं।

20. प्रतिवादी संख्या 5, खंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, परसौनी के प्रतिउत्तर हलफनामे में इस प्रकार कहा गया है:

> ***(ix)*** *कि उपरोक्त उल्लिखित 18.01.2024 की मांग की मूल प्रति वाली फाइल कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति-सह-खंड विकास पदाधिकारी, परसौनी द्वारा पत्र संख्या 80, दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से याचिकाकर्ता को भेजी गई थी, ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाने की तिथि/समय और स्थान निर्धारित किया जा सके। लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा 25.01.2024 को उक्त फाइल के नोटशीट के पृष्ठ संख्या 8 पर लिखी गई टिप्पणी के माध्यम से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।*
>
> ***(x)*** *कि इसके बाद संबंधित फाइल को 27.01.2024 को माननीय उप-प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और माननीय उप-प्रमुख ने*

29.01.2024 को उक्त फाइल की नोटशीट के पृष्ठ संख्या 11 पर टिप्पणी करते हुए, 13.02.2024 की तिथि उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित की। तदनुसार, यह सूचना पंचायत समिति, परसौनी के सभी सदस्यों को कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति-सह-खंड विकास पदाधिकारी, परसौनी द्वारा पत्र संख्या 128 से 137, दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से दी गई।

(xi) *कि माननीय प्रमुख (रिट याचिकाकर्ता) और माननीय उप-प्रमुख (प्रतिवादी संख्या 07) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक 13.02.2024 को बुलाई गई;*

(xii) *कि पंचायत समिति के 10 (दस) सदस्यों में से 6 (छह) सदस्यों ने विशेष बैठक में भाग लिया और दोनों, माननीय प्रमुख और माननीय उप-प्रमुख, के खिलाफ अपने मत डाले, और इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव माननीय प्रमुख और माननीय उप-प्रमुख के खिलाफ पारित कर दिया गया।*

(xiii) *कि उपरोक्त उल्लिखित 13.02.2024 की विशेष बैठक की कार्यवाही को खंड विकास*

पदाधिकारी, परसौनी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, सीतामढ़ी को भेजा गया, और ऐसे पत्र की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतामढ़ी को मेमो संख्या 191, दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से भेजी गई।

21. इसके अतिरिक्त, प्रतिउत्तर हलफनामे के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया कि:

*"**5.** कि उपरोक्त अनुच्छेद 5 और उप-अनुच्छेद (i) से (xiii) में उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों के तहत यह स्पष्ट है कि पिछली बैठक आयोजित नहीं हो सकी। पिछली बैठक कभी भी आयोजित नहीं हुई, क्योंकि उस बैठक के लिए 'सूचना' को 12.01.2024 के आदेश के आलोक में, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 751/2024 में रद्द कर दिया गया था। इसलिए 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करने के लिए बैठक बुलाई नहीं जा सकी और इस प्रकार 13.02.2024 को आयोजित विशेष बैठक बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44(3) के प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई थी। अतः याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई रिट याचिका मान्य नहीं है।"*

22. श्री एस.बी.के. मंगलम, जिन्होंने पहले दौर की मुकदमेबाजी में यहां याचिकाकर्ता का समर्थन किया था और अब प्रतिवादी संख्या 9 और 11 से 15 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने सदस्यों द्वारा की गई मांग को अस्वीकार कर दिया, तो फाइल उप-प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने 13.02.2024 की तिथि निर्धारित की।

23. तदनुसार, विशेष बैठक 13.02.2024 को हुई और उनके साथ-साथ उप-प्रमुख के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, और उन्हें उनके संबंधित पदों से हटा दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि 13.02.2024 की उक्त कार्यवाही को याचिकाकर्ता ने कोई अंतःस्थगन आवेदन दाखिल करके चुनौती नहीं दी है, और इस प्रकार यह अब अंतिम रूप से निष्पादित हो गई है।

24. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत मामले का संबंध है, **धर्मशीला कुमारी** (उपर्युक्त) के मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब प्रस्ताव को मतदान के लिए नहीं रखा गया, तो एक नया प्रस्ताव 'अधिनियम' की धारा 44(3)(4) के अंतर्गत नहीं आएगा। अतः उन्होंने तर्क दिया कि रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

25. मामले के तथ्यों, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और पक्षों की सुनवाई के बाद, यह न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि पहले की 03.01.2024 की मांग आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि

16.01.2024 को बैठक होने से पहले ही इसे इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा 12.01.2024 को, याचिकाकर्ता द्वारा दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 751/2024 में, इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह विधि के अनुसार नहीं की गई थी।

26. इस पृष्ठभूमि में, नई मांग 18.01.2024 को की गई, और जब प्रमुख (वर्तमान याचिकाकर्ता) ने इसे अस्वीकार करते हुए तिथि निर्धारित करने से इनकार कर दिया, तो बाद में फाइल उप-प्रमुख के पास गई, जिन्होंने 13.02.2024 की तिथि निर्धारित की। उस आयोजित बैठक में उपस्थित सदस्यों ने 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में मतदान किया, और दोनों, प्रमुख और उप-प्रमुख, को उनके संबंधित पदों से हटा दिया गया।

27. जहां तक याचिकाकर्ता के इस दावे का सवाल है कि इसे दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो कि 'अधिनियम' की धारा 74(ii) के तहत अनुमति नहीं है, यह खारिज किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि पहली मांग के बाद बैठक हुई और 'अविश्वास प्रस्ताव' पर चर्चा की गई, और प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया, और इस प्रकार प्रतिवादियों को दूसरे प्रस्ताव के लिए अनुरोध करने का अधिकार नहीं था।

28. उन्होंने आगे कहा कि इसके विपरीत, तथ्य यह है कि पहला 'अविश्वास प्रस्ताव' इस न्यायालय की पीठ की हस्तक्षेप के बाद अचानक

समाप्त हो गया था, और इस पृष्ठभूमि में, नई मांग को 'अधिनियम' की धारा 44(ii) के खिलाफ नहीं माना जा सकता।

29. जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत मामलों का सवाल है, जैसे **रेखा देवी** (उपर्युक्त) और **धर्मशीला कुमारी** (उपर्युक्त), ये उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में उनकी मदद नहीं करते।

30. **रेखा देवी** (उपर्युक्त) में, रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि जब तिथि निर्धारित की गई थी, तो कार्यपालक अधिकारी को मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। यहां, 'अधिनियम' के अनुसार, एक बार जब प्रमुख ने अस्वीकार कर दिया और तिथि निर्धारित नहीं की, तो फाइल उप-प्रमुख के पास रखी गई, जिन्होंने तिथि निर्धारित की। इस प्रकार, **रेखा देवी** (उपर्युक्त) का मामला किसी भी प्रकार से याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन नहीं करता।

31. वास्तव में, **धर्मशीला कुमारी** (उपर्युक्त) में, डिवीजन बेंच ने अपने मत को अनुच्छेद 117 और 118 में समाप्त किया और यह निम्नलिखित रूप में था:

> ***117.*** *इस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तर्कों को विस्तार से देखने के बाद, न्यायालय पाता है कि धोखाधड़ी का आरोप स्थापित नहीं किया गया था और न ही प्रमुख और मांगकर्ताओं को प्रणाली पर धोखाधड़ी करने का दोषी ठहराया जा सकता है;*

धारा 44(3)(i) के शब्दों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और मतदान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक बहुमत समिति के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से होना चाहिए; प्रस्ताव का तार्किक निष्कर्ष उस पर 'मतदान' करना होता है, और चूंकि 10.08.2018 की बैठक में कोई मतदान नहीं हुआ था, तो प्रस्ताव को 'लाया' नहीं जा सकता और इस प्रकार धारा 44(3)(ii) का प्रतिबंध लागू नहीं होता।

118. *इस प्रकार, प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है:-*
मुद्दा संख्या (i): *बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44 एक स्वतंत्र और अलग धारा है, जो अपने आप में एक पूर्ण संहिता है;*
मुद्दा संख्या (ii): *अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के तहत विशेष बैठक बुलाने की प्रक्रिया न तो लागू होती है और न ही इसे अधिनियम की धारा 44 के तहत निर्धारित बैठक के लिए पढ़ा जा सकता है;*
मुद्दा संख्या (iii): *अधिनियम की धारा 44(3) के तहत प्रस्ताव को मतदान के लिए लाने के लिए आवश्यक बहुमत पंचायत समिति के उपस्थित*

और मतदान करने वाले सदस्यों में से है। अविश्वास प्रस्ताव को मतदान के लिए लाने के लिए न्यूनतम कोरम की आवश्यकता नहीं है;
मुद्दा संख्या (iv): *अधिनियम की धारा 44(3) अविश्वास प्रस्ताव को गुप्त मतदान के माध्यम से मतदान के लिए लाने की अनिवार्यता निर्धारित करती है;*
मुद्दा संख्या (v): *विवादित कार्रवाई, यानी 10.08.2018 की प्रस्तावना, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है और इस प्रकार इसे रद्द कर दिया गया है;*
मुद्दा संख्या (vi): *अधिनियम की धारा 44 में यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि प्रस्ताव को मतदान के लिए लाने और चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक में मांगकर्ता अवश्य उपस्थित हों;*
मुद्दा संख्या (vii) और (viii): *दिए गए तथ्यों में, मांगकर्ताओं की अनुपस्थिति को धोखाधड़ी का कार्य नहीं कहा जा सकता है जो क़ानून के प्रावधानों को पराजित करने के प्रयास के रूप में हो।*

मुद्दा संख्या (ix): यदि प्रस्ताव को मतदान के लिए नहीं रखा गया, तो धारा 44(3)(u) के तहत

> ***अविश्वास प्रस्ताव को पुनः लाने पर कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं होगा;***
> ***मुद्दा संख्या (x):*** *उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यपालक अधिकारी के कृत्य जानबूझकर किए गए थे, जो कर्तव्य में लापरवाही की ओर इशारा करते हैं और उनके कार्य और आचरण के संदर्भ में जांच शुरू करने की आवश्यकता है।*

32. इस मामले में, पहले की गई मांग को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद, न तो कोई बैठक हुई और न ही मतदान हुआ, और इस पृष्ठभूमि में मुद्दा संख्या (ix) इस मामले में पूरी तरह से लागू होता है।

33. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि **सरिता कुमारी** (उपर्युक्त) और **धर्मशीला कुमारी** (उपर्युक्त) के बीच सही कानून का निर्णय लेने के लिए **संगीता देवी और अन्य बनाम राज्य और अन्य** मामले में पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया था। पूर्ण पीठ ने इसे 16.5.2024 को फैसला किया और यह **2024 (4) BLJ-1** में प्रकाशित हुआ। पैरा 39 से 43 में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया गया था:

> ***39.*** *हमें अधिनियम की धारा 70(4) में प्रयुक्त भाषा में कोई अपूरणीय अशुद्धता नहीं मिलती। यह हमारे सामने ऐसी स्थिति नहीं प्रस्तुत करता जहां*

किसी विशेष व्याख्या उपकरण की आवश्यकता हो और उसे न करने से विधायिका को निरर्थक बना दिया जाए और विधायिका के स्पष्ट उद्देश्य को व्यर्थ कर दिया जाए।

40. अत्यंत सम्मान के साथ, हम यह कहते हैं कि **सरिता कुमारी** (उपर्युक्त) में शायद अधिनियम की धारा 70(4) की पूरी योजना पर विचार नहीं किया गया था। इसे **धर्मशीला कुमारी** (उपर्युक्त) में संक्षेप में समझाया गया है, जो "अविश्वास प्रस्ताव" से संबंधित है, जो कि अधिनियम की धारा 44(3) से बिल्कुल समान है।

41. इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि "अविश्वास प्रस्ताव" को सफलतापूर्वक पास करने के लिए आवश्यक है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत हो, न कि ज़िला परिषद के कुल निर्वाचित सदस्यों का बहुमत।

42. हमने हमारे समक्ष उपस्थित किसी भी रिट याचिका या अपील के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है, जिन्हें हमारे द्वारा स्पष्ट सिद्धांत पर निर्णय लिया जाएगा।

43. संदर्भ को इस प्रकार उत्तरित किया गया है।

34. उपरोक्त तथ्यों और आदेशों/निर्णयों के आधार पर याचिकाकर्ता का यह तर्क कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में की गई मांग/प्रस्तावित बैठक को रद्द करने के बाद, बाद की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता, आधारहीन है और खारिज किए जाने योग्य है।

35. याचिकाकर्ता (जो उस समय प्रमुख थे) से प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, 'अधिनियम' के अनुसार, इसे बाद में 'उप-प्रमुख' के समक्ष रखा गया, जिन्होंने इसे 13.2.2024 के लिए निर्धारित किया। उक्त तिथि को, चर्चा के बाद बहुमत वाले सदस्यों ने प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

36. इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय लिया है कि पहले का नोटिस कभी भी किसी बैठक और/या प्रस्ताव में परिणत नहीं हुआ था, न तो प्रस्ताव के पक्ष में और न ही विपक्ष में। इस पृष्ठभूमि में, 13.2.2024 को उठाया गया अविश्वास प्रस्ताव केवल वही प्रस्ताव माना जाएगा जो अंततः प्रमुख (याचिकाकर्ता) और उप-प्रमुख के खिलाफ गया।

37. न्यायालय यह भी निर्णय देता है कि 18.01.2024 को किए गए अनुरोध के बाद 13.2.2024 को याचिकाकर्ता और उप-प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और 'कानून' के अनुसार थी, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

38. याचिका खारिज की जाती है। 15.02.2024 को पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाता है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

रवि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।